गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी रोड, रायपुर

एंटी रैगिंग समिति: 2021-22

कार्यक्रम का नाम : रैगिंग, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ ,बैड टच गुड टच, यौन उत्पीड़न एवं उससे बचाव हेतु विधि एवं पुलिस सेवाओं के संबंध में संगोष्ठी

मुख्य अतिथि : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू से श्रीमती चंचल तिवारी

अन्य अतिथि : सहायक उपनिरीक्षक श्रीमती पूर्णिमा तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती आशा

दिनांक –16/11/21 स्थान –गुरुकुल प्रेक्षागृह समय – प्रातः 10:30

गुरुकुल महिला महाविद्यालय कालीबाड़ी रोड रायपुर में गठित एंटी रैगिंग समिति द्वारा आज दिनांक 16/11/21 को गुरुकुल प्रेक्षागृह में 10:30 बजे से प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए रैगिंग एवं उससे बचाव हेतु विधि एवं पुलिस सेवाओं के संबंध में जानकारी देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रुप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू से श्रीमती चंचल तिवारी उपस्थित हुई जिन्होंने छात्राओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ ,बैड टच गुड टच, यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि छात्राएं अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती हैं । उनकी सुरक्षा उनके अपने हाथ में होती है। छात्राओं को यह भी बताया कि अगर उन्हें किसी प्रकार की किसी भी जगह पर परेशानी होती हो तो वह उनके संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज एवं कॉल करके सूचित करें। सहायक उपनिरीक्षक श्रीमती पूर्णिमा तिवारी ने छात्राओं को बताया कि यदि आपको या आपके आसपास के व्यक्ति को किसी से कोई परेशानी हो रही हो तो छुपाए नहीं तुरंत अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति को जानकारी दें एवं समय पर महिला विरुद्ध अपराध विवेचना इकाई के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। इस संगोष्ठी के लिए उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती आशा जी के साथ महिला एवं बाल विकास से अन्य सहयोगी भी स्थित हुए । महाविद्यालय से एंटी रैगिंग समिति के सदस्य श्रीमती कविता सिलवाल , रात्रि लहरी, डॉ रिंकू तिवारी, डॉ अमिता तेलंग, अदिति जोशी एवं पूनम कटनकर के साथ महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की तीन सौ छात्राएं उपस्थित हुई।

सदस्य : –

1. श्रीमती कविता सिलवाल
2. रात्रि लहरी,
3. डॉ रिंकू तिवारी,
4. डॉ अमिता तेलंग,
5. अदिति जोशी
6. पूनम कटनकर

GPS Map Camera
Raipur, Chhattisgarh, India
16, Byron Bazar, Janta Colony, Raipur, Chhattisgarh 492001, India
Lat 21.234882°
Long 81.639842°
16/11/21 11:49 AM

Gurukul Mahila Mahavidyalaya
Kalibadi, Raipur (C.G.)
Anti Ragging Cell
Ragging Free Campus
Make them LOVE, not them HURT
बच्चों में गुड टच–बेड टच एवं
महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए
रायपुर जिले में चलाए जा रहे
जागरूकता अभियान

रैगिंग संबंधित विधिक सहायता एवं बाल सुरक्षा संबंधित जानकारी

अमन पथ न्यूज

रायपुर। गुरुकुल महिला महाविद्यालय कालीबाड़ी रोड रायपुर में गठित एंटी रैगिंग समिति द्वारा आज दिनांक 16/11/21 को गुरुकुल प्रेक्षागृह में 10:30 बजे से प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए रैगिंग एवं उससे बचाव हेतु विधि एवं पुलिस सेवाओं के संबंध में जानकारी देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रुप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू से श्रीमती चंचल तिवारी जी के साथ उनकी टीम, डी.एस.पी. आशा सेन, ए. एस. आई. राजकुमारी जी , उपस्थित हुई जिन्होंने छात्राओं को रैगिंग संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि यह भी एक तरह का अपराध है जिसके लिए दंड का प्रावधान है आज सभी महाविद्यालय में एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरवाया जाता है और यदि रैगिंग की घटना पाई जाए तो उस महाविद्यालय र कार्यवाही भी होती है साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बैड टच गुड टच, यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि छात्राएं अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती हैं । उनकी सुरक्षा उनके अपने हाथ में होती है। छात्राओं को यह भी बताया कि अगर उन्हें किसी प्रकार की किसी भी जगह पर परेशानी होती हो तो वह उनके संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज एवं कॉल करके सूचित करें। सहायक उपनिरीक्षक श्रीमती पूर्णिमा तिवारी ने छात्राओं को बताया कि यदि आपको या आपके आसपास के व्यक्ति को किसी से कोई परेशानी हो रही हो तो छुपाए नहीं तुरंत अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति को जानकारी दें एवं समय पर महिला विरुद्ध अपराध विवेचना इकाई के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। इस संगोष्ठी के लिए महिला एवं बाल विकास से अन्य सहयोगी भी उपस्थित हुए । महाविद्यालय से एंटी रैगिंग समिति के सदस्य श्रीमती कविता सिलवाल , रात्रि लहरी, डॉ रिंकू तिवारी, डॉ अमिता तेलंग, अदिति जोशी एवं पूनम कटनकर के साथ महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की तीन सौ छात्राएं उपस्थित हुई।

aluation Warning : The version can be used only for evaluation purpose...

रैगिंग भी एक तरह का अपराध, इसमें भी हैं दंडनीय प्रावधान: चंचल

रायपुर। गुरुकुल महिला महाविद्यालय कालीबाड़ी में मंगलवार को कॉलेज में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के छात्राओं को रैगिंग व उससे बचाव के बारे में बरिकी से जानकारी दी गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू श्रीमती चंचल तिवारी ने बताया कि रैगिंग भी एक तरह का अपराध है और इसमें भी दंडनीय प्रावधान है। महाविद्यालय की गठित एंटी रैगिंग समिति द्वारा गुरुकुल प्रेक्षागृह में प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए रैगिंग एवं उससे बचाव हेतु विधि एवं पुलिस सेवाओं के संबंध में जानकारी के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रुप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू से श्रीमती चंचल तिवारी के साथ उनकी टीम, डी.एस.पी. आशा सेन, ए. एस. आई. राजकुमारी उपस्थित थी। इस दौरान श्रीमती चंचल तिवारी ने छात्राओं को रैगिंग संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि यह भी एक तरह का अपराध है जिसके लिए दंड का प्रावधान है आज सभी महाविद्यालय में एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरवाया जाता है और यदि

रैगिंग की घटना पाई जाए तो उस महाविद्यालय र कार्यवाही भी होती है साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा,छेड़छाड़ ,बैड टच गुड टच, यौन उत्पीड? आदि से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि छात्राएं अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती हैं। उनकी सुरक्षा उनके अपने हाथ में होती है। छात्राओं को यह भी बताया कि अगर उन्हें किसी प्रकार की किसी भी जगह पर परेशानी होती हो तो वह उनके संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज एवं कॉल करके सूचित करें।

हेल्पलाइन पर सूचित करें

सहायक उपनिरीक्षक श्रीमती पूर्णिमा तिवारी ने छात्राओं को बताया कि यदि आपको या आपके आसपास के व्यक्ति को किसी से कोई परेशानी हो रही हो तो छुपाए नहीं तुरंत अपने किसी विश्वस्त व्यक्ति को जानकारी दे एवं समय पर महिला विरुद्ध अपराध विवेचना इकाई के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। इस संगोष्ठी के लिए महिला एवं बाल विकास से अन्य सहयोगी भी उपस्थित हुए। महाविद्यालय से एंटी रैगिंग समिति के सदस्य श्रीमती कविता सिलवाल , रात्रि लहरी, डॉ. रिंकू तिवारी, डॉ अमिता तेलंग, अदिति जोशी एवं पूनम कटनकर के साथ महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की तीन सौ छात्राएं उपस्थित हुई।